



## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।


क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1042/1321

दिनांक : 08/06/2020

### -: कार्यालय आदेश :-

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.8(9)नविधि/आरएचबी/2020 दिनांक 28.5.2020 की अनुपालना में मण्डल में व्यावसायिक सम्पत्तियों की लीज राशि, मण्डल की आवासीय आरक्षित दर (मध्यम आयवर्ग-"अ") की 5 प्रतिशत एवं समस्त संस्थानिक सम्पत्तियों पर आवासीय आरक्षित दर (मध्यम आयवर्ग-"अ") की 2.5 प्रतिशत की दर से गणना की जावेगी। आवासीय सम्पत्तियों पर लीज की गणना पूर्वानुसार ही की जावेगी।

उपरोक्त लीज राशि की दरें इस आदेश के जारी होने के पश्चात् जारी आवंटन पत्रों पर लागू होंगे।

  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजिए :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता-I/II(मु0)/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु.अभियन्ता, ..... रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
- 4- उप आवासन आयुक्त, वृत्त- ..... रा.आ.म., .....।
- 5- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 6- लेखाधिकारी, मुख्य राजस्व प्रकोष्ठ (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 7- आवासीय अभियन्ता, खण्ड- ..... रा.आ.म., .....।
- 8- सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वृत्त- ..... रा.आ.म., .....।
- 9- सम्बन्धित पत्रावली।
- 10- रक्षित पत्रावली।

  
वित्तीय सलाहकार